

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन विभाग-01
संख्या-1059/XV-1/25/88322
देहरादून: दिनांक 10 जून, 2025

कार्यालय - आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के प्रावधानानुसार तथा इस हेतु कार्मिक विभाग के संगत शासनादेशों के क्रम में शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुतिनुरूप सम्यक्विचारोपरान्त पशुपालन विभागान्तर्गत संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष अधिकारियों को जनहित में निम्न तालिकानुसार वर्तमान तैनाती स्थान से नवीन तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

संयुक्त निदेशक/समकक्ष

क्र० स०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	डा० विद्यासागर कापड़ी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी देहरादून।	संयुक्त निदेशक, पशुपालन निदेशालय।	जनहित
2	डा० सतीश जोशी	संयुक्त निदेशक, पशुपालन निदेशालय।	वर्तमान पद पर मूल तैनाती के साथ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून का अतिरिक्त प्रभार।	जनहित
3	डा० योगेश भारद्वाज	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बागेश्वर।	परियोजना निदेशक, लघु, पशु कुमोऊ मण्डल।	जनहित
4	डा० के० के० जोशी	परियोजना निदेशक, लघु, पशु कुमोऊ मण्डल।	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बागेश्वर।	जनहित

2. स्थानान्तरित अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा-23 में निर्धारित समयानुसार नवीन तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा।
3. स्थानान्तरित अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध अनावश्यक पत्राचार एवं किसी भी स्तर से दबाव डलवाने का प्रयास किये जाने पर शासन स्तर पर इस कृत्य/आचरण को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

4. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

Digitally signed by
Rajendra Kumar Bhatt
Date: 10-06-2025
16:36:22 (राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या : 1059/XV-1/25/88322 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, सचिव कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त/योगदान कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
9. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड, देहरादून।
10. संबंधित कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित अधिकारीगण।
12. गार्ड फाईल।

राजेन्द्र कुमार भट्ट
संयुक्त सचिव